

पीठासीन अधिकारी:- जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या:- 89/2017/अपील

रामरिख पुत्र केशाराम जाति जाट निवासी बुजियानाउ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
अपीलान्त

बनाम

तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 31.07.2017 न्यायालय तहसीलदार
महोदय लक्ष्मणगढ़ मु.न. 12/2017 प्रकरण अनुवानी सरकार
बनाम रामरिख

वकील अपीलांत श्री सागर मल धायल
वकील रेस्पोडेंट श्री रामावतार शर्मा

निर्णय

दिनांक:-27.11.2017

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बुजियानाउ ने सरकारी भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 0.18 है० में से 0.0015 है० पर अपीलांत द्वारा पुख्ता दीवार बनाकर अतिक्रमण करने का तथ्य अंकित कर अपनी रिपोर्ट तहसीलदार महोदय के यहां प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया। जिस पर अपीलांत अधिनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित आकर जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांत ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है व अपीलांत का कब्जा काफी पुराना है व काफी वर्षों से आवासीय मकानात व चारदिवारी बनी हुई है। अपीलांत ने कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है फिर भी यदि नाप में कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे नाप कर हटाने का निवेदन किया गया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की साक्ष्य लिये बिना ही एवं कोई स्वतंत्र गवाह के बयान लिए बिना ही एवं मौका देखे बिना ही अपना निर्णय दिनांक 31.07.2017 पारित कर अपीलांत को बेदखल करने हेतु पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांत को अपना कथन व सबूत प्रस्तुत करने का कोई मौका नहीं दिया गया। अपीलांत ग्राम बुजियानाउ में अपनी काश्त भूमि में आवासीय मकान अपने पूर्वजों के समय से बनाकर आवास निवास करते आ रहे हैं। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांत का पुराना कब्जा होते हुए व नया कोई अतिक्रमण नहीं होते हुए व खसरा नम्बर 104 की नपती की कार्यवाही किए बिना ही चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित करने में गलती की है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 31.07.2017 निरस्त फरमाया जाकर कार्यवाही नोटिस ड्रॉप फरमायी जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांत का कथन है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांत द्वारा दिनांक 31.07.2017 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौके पर दोनों तरफ से नाप करके भौतिक स्थिति आंकलन करवाया जाकर अतिक्रमण की कार्यवाही की जावे, एवं हमारा कोई अतिक्रमण है तो हम अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार हैं। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा मौके की स्थिति की जांच किए बिना ही एवं बिना नपती की कार्यवाही किए बिना ही हमारे विरुद्ध बेदखली की गलत कार्यवाही की है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. का कथन है कि अपीलांत द्वारा गै.मु. रास्ते पर पुख्ता चार दिवारी बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। जबकि

अपीलांट को गै.मु. रास्ते पर अतिक्रमण का कोई अधिकार नहीं है। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड मुताबिक अपीलांट ने दिनांक 31.07.2017 को जवाब प्रस्तुत कर मौके की भौतिक स्थिति का आंकलन कर दोनों तरफ से नपती की कार्यवाही की जाकर अतिक्रमण हटाने हेतु निवेदन किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के द्वारा मौके की स्थिति की जांच किए बिना ही एवं बिना सीमाज्ञान किए बिना ही बेदखल करने हेतु अपना निर्णय दिनांक 31.07.2017 पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। इस कारण चुनौतिग्रस्त निर्णय स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मौके पर अतिक्रमण के सम्बंध में पुनः सीमाज्ञान किया जाये और सीमाज्ञान उपरान्त अतिक्रमण पाये जाने पर नियमानुसार पुनः विधिवत प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही करे।
निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जय प्रकाश)
अति० जिला कलक्टर, सीकर
अति० जिला कलक्टर, सीकर